ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-14/2025- 824 /वि०स० । दिनांक-16/02/2026

प्रिय ....

अष्टादश बिहार विधान सभा का प्रथम सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक-01 दिसम्बर, 2025 से प्रारम्भ हुआ । और दिनांक-05 दिसम्बर, 2025 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । अष्टादश सत्र में कार्यक्रमानुसार कुल पाँच बैठकें संपन्न हुईं ।

शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण

अष्टादश बिहार विधान सभा के लिए माननीय राज्यपाल द्वारा श्री नरेन्द्र नारायण यादव, वरीय सदस्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद-180 के खण्ड-(1) के अधीन सामयिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया । दिनांक 24 नवम्बर, 2025 को श्री नरेन्द्र नारायण यादव, सामयिक अध्यक्ष द्वारा माननीय राज्यपाल के समक्ष लोक भवन में शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञान किया गया । उन्हें माननीय राज्यपाल ने ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जिनके समक्ष बिहार विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यगण शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करेंगे ।

अष्टादश बिहार विधान सभा के सभी नवनिर्वाचित 242 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण कर लिया गया है ।

अध्यक्ष का निर्वाचन

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक-02 दिसम्बर, 2025 को अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नियत किया गया था । माननीय अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल 04 (चार) प्रस्ताव नियमानुसार स्वीकृत हुए । सभी स्वीकृत प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार को बिहार विधान सभा का अध्यक्ष चुने जाने के संबंध में था । दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 की बैठक में सभा द्वारा श्री प्रेम कुमार, स०वि०स० को सर्वसम्मति से अष्टादश बिहार विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया । निर्वाचन के उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय को माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार एवं माननीय नेता विरोधी दल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा आसन तक लाकर आसन ग्रहण कराया गया । निर्वाचनोपरान्त सभी दलों के नेतागण क्रमश: श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री; श्री सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री; श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय उप मुख्यमंत्री; श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री; श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय नेता विरोधी दल; श्री राजू तिवारी, माननीय स०वि०स०, बिहार विधान सभा; श्री मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय स०वि०स०; श्रीमती दीपा कुमारी, माननीय स०वि०स०; श्री अखतरूल ईमान, माननीय स०वि०स०; श्रीमती स्नेहलता, माननीय स०वि०स०; श्री अरूण सिंह, माननीय स०वि०स०; श्री अजय कुमार, माननीय स०वि०स०; श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता, माननीय स०वि०स० एवं श्री कुमार सर्वजीत, माननीय स०वि०स० द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुये अपना विचार सदन के समक्ष रखा गया ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

''कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'' श्रीमदभगवत गीता के श्लोक से अपना संबोधन शुरू करते हुये माननीय सदस्यगण को हृदय से धन्यवाद दिया कि आपने सर्वसम्मति से मुझे इस महान संस्था और लोकतंत्र के मंदिर का अध्यक्ष चुना । यह केवल मेरे प्रति विश्वास ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं, संसदीय शिष्टाचार के प्रति आपकी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है ।

18वीं बिहार विधान सभा का गठन ऐसे समय में हुआ है जब हमारा राज्य विकासात्मक आकांक्षाओं के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है । जनता ने ऐतिहासिक जनमत देकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वे संवाद, समाधान, सहयोग और विकास की राजनीति को प्राथमिकता देती हैं ।

अध्यक्ष के रूप में मेरा प्रथम कर्त्तव्य होगा कि मैं सदन की परंपराओं के संरक्षण के साथ-साथ संविधान एवं सदन के संचालन संबंधी नियमों का पालन करते हुए, प्रत्येक सदस्य को उसके अधिकार और सम्मान के साथ अपने विचार रखने का अवसर दूँ । मुझे विश्वास है कि इस सदन में वाद विवाद का फलाफल बिहार के भविष्य को अधिक उज्ज्वल बनाने में सहायक सिद्ध होगा । महात्मा गाँधी ने कहा था- भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं ।

सर्वसम्मति से चुना जाना मेरे लिए गौरव का विषय है, परंतु इससे कहीं अधिक यह उत्तरदायित्व का संकेत है । लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि विविध विचारधाराएँ एक ही टेबल पर बैठकर राज्य के विकास हेतु सार्थक चर्चा करें । जनता की यह इच्छा है कि बिहार तेजी से विकसित हो, पारदर्शी ढंग से संचालित हो और विधायिका का प्रत्येक निर्णय जनता के जीवन को सहज, सुरक्षित और समृद्ध बनाए ।

हम सब पर यह उत्तरदायित्व है कि इस विश्वास को हम अपनी निष्ठा, विनम्रता एवं प्रतिबद्धता के साथ निभाएँ क्योंकि लोकतंत्र की शक्ति उसके जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता और सदन की मर्यादा में निहित होती है । इसीलिए आवश्यकता है कि हम विचारों की विविधता के बीच संवाद के पुल बनाएँ और असहमति को भी सम्मान देते हुए नीतियों की दिशा तय करें और विकास की गंगा बहाएँ ।

माननीय सदस्यगण, आज का यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है । नई विधान सभा नई ऊर्जा और नए संकल्पों के साथ आरंभ हो रही है । परंपराएँ हमें गरिमा देती हैं, और नवाचार हमें दिशा । आवश्यक यह है कि दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए हम ऐसा कार्यकाल रचें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बने । जहाँ तक विचारों के टकराव का प्रश्न है तो यह स्वाभाविक है, परंतु मन का और तन का संघर्ष कभी नहीं होना चाहिए । यह हम सबका सौभाग्य है कि हमें जनता की सेवा का अवसर मिला है और मुझे गयाजी के भाईयों और बहनों का आशीर्वाद लगातार 9वीं बार मिला है । गयाजी के भाईयों और बहनों को भी मैं अपनी ओर से और समस्त बिहारवासियों के प्रति नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ ।

मैं आश्वस्त करता हूँ कि अध्यक्ष के आसन पर रहते हुए मेरे लिए सरकार और विपक्ष दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होंगे । हमारा उद्देश्य एक ही है-बिहार की जनता की प्रगति और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति ।

मैं सदन के वरिष्ठ सदस्यों से मार्गदर्शन, अनुभवी सदस्यों से सहयोग तथा पहली बार निर्वाचित सदस्यों से ऊर्जा और नवीन दृष्टि की अपेक्षा करता हूँ ।

सदन के संचालन में मैं आधुनिक संसदीय प्रथाओं, डिजीटल विधायी प्रक्रियाओं और ई-गवर्नेंस आधारित सुधारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा । मैं पूर्व अध्यक्ष जी का आभारी हूँ कि उनके प्रयास से यह सदन डिजीटल विधायी संस्था के रूप में विकसित हो पाया है । यह समय है कि बिहार विधान सभा स्मार्ट लेजिस्लेटिव गवर्नेंस का मॉडल बने ।

माननीय सदस्यगण, पिछली विधान सभा के भंग होते ही उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो गया है और उपाध्यक्ष के रहने से विधान सभा के कार्य संचालन में सहूलियत होती है । अत: मैं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि 04.12.2025 को नियत करता हूँ । इसके लिए कल 12 बजे दिन तक नामांकन प्रस्ताव की सूचना दी जा सकती है ।

अंत में, मैं पुन: इस सदन के प्रत्येक सदस्य को कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष के रूप में, मैं पूर्ण निष्पक्षता, अनुशासन, मर्यादा और संवाद की प्रकृति व संस्कृति को बनाए रखते हुए कार्य करूंगा । मैं इस अवसर पर सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ । आप सबके विचार और दृष्टिकोण इस सदन को अवश्य समृद्ध करेंगे । स्वामी विवेकानंद ने कहा था- केवल वे ही जीवित रहते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं । आइए, हम सब मिलकर इस कार्यकाल को जनहितकारी नीतियों और लोकतांत्रिक व्यवहार का एक स्वर्णिम अध्याय बनाएँ ।

"हम पड़ाव को समझे मंजिल,
लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल,
वर्तमान के मोहजाल में,
आने वाला कल न भूलाएँ,
आयें फिर से दिया जलाएँ ।"
आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद । जय बिहार ।

राज्यपाल का अभिभाषण

अष्टादश बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र के आरम्भ पर भारत का संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अनुसरण में बिहार के राज्यपाल, श्री आरिफ मोहम्मद खां द्वारा बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक-03 दिसम्बर, 2025 को सम्बोधित किया गया । श्री राणा रणधीर, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा श्री रामविलास कामत, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा अनुमोदन किया गया । धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर दिनांक-04 दिसम्बर, 2025 को वाद-विवाद हुआ तथा प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया ।

अध्यादेश

वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (2) (क) के अनुसार माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित क्रमशः "बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2025 एवं "बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025" की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखा गया ।

अनुमत विधेयक

दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को बिहार विधान मंडल द्वारा पारित एवं माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्न विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक

1. बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2025
2. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2025
3. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2025
4. बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक,2025
5. बिहार भूमिगत पाइप लाइन (भूमि में उपयोग-कर्त्ता के अधिकार का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2025
6. बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025
7. बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2025
8. बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त्त) विधेयक, 2025
9. बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025
10. बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक, 2025
11. जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025

वित्तीय कार्य

दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को वित्त मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को उपस्थापित किया गया ।

दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात् सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन

(मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2025 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. गृह विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार अग्निशमन अधिनियम, 2014 की धारा-64 के तहत "बिहार अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025" की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना ।
2. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा "बिहार अमीन संवर्ग नियमावली, 2025" की एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना ।
3. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा-8(3) के तहत "बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन)(संशोधन) नियमावली, 2025" की एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना ।
4. उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा The Bihar Industrial Area Development Authority (Financial, Service And Technical) Regulations 2007; The IDA (Financial, Service And Technical) Regulations 2007; बिहार उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2015; जिला उद्योग केन्द्र आशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2007; बिहार उद्योग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2007; बिहार उद्योग सेवा संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2013; बिहार रेशम तकनीकी अधीनस्थ संवर्ग नियमावली 2015; बिहार उद्योग (हस्तकरघा एवं रेशम) क्षेत्रीय लिपिक (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2015; बिहार हस्तकरघा तकनीकी अधीनस्थ संवर्ग नियमावली-2015 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 की एक-एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना ।
5. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि "यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन वर्ष 2025-27 की शेष अवधि यथा गठन संबंधी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2027 तक के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के परंतुक के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को शिथिल कर अध्यक्ष, बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें" ।
6. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि "यह सदन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन वर्ष 2025-27 की शेष अवधि यथा गठन संबंधी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2027 तक सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमशः चार, छः एवं तीन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हों तथा बिहार विधान परिषद् सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें" ।
7. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के तहत् बिहार लोक सेवा आयोग का वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना ।
8. जल संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा-45(1) के आलोक में बिहार की निर्दिष्ट बाँधों की सुरक्षा स्थिति का वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति का सभा पटल पर रखा जाना ।

9. पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-146(2) के आलोक में ''बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2025'' की एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना ।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक-04 दिसम्बर, 2025 को उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नियत किया गया था । माननीय उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल 04 (चार) प्रस्ताव स्वीकृत हुए । सभी स्वीकृत प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र नारायण यादव को बिहार विधान सभा का उपाध्यक्ष चुने जाने के संबंध में था । दिनांक 04 दिसम्बर, 2025 की बैठक में सभा द्वारा श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०स० को सर्वसम्मति से अष्टादश बिहार विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया ।

याचिका

1. इस सत्र में कुल 09 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 06 स्वीकृत हुए तथा 03 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

1. इस सत्र में कुल 15 निवेदन स्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय श्रीचन्द्र सिंह, पूर्व स०वि०स०
2. स्वर्गीय शिबू सोरेन, पूर्व सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड
3. स्वर्गीय सत्यपाल मलिक, पूर्व सांसद एवं पूर्व राज्यपाल, बिहार
4. स्वर्गीय हरिनंदन यादव, पूर्व स०वि०स०
5. स्वर्गीय राणा गंगेश्वर सिंह, पूर्व स०वि०स० एवं पूर्व स०वि०प०

दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई । जिसके उपरांत माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद,

आपकी विश्वासी

Khyati Singh 06/12/25

(ख्याति सिंह)

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

....

....

....